


II/निग/र-सीधी/2018/0737

15
240

माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.



- 1. राजेश्वर प्रसाद पाठक दोनो पेठा छेती निवासी ग्राम मोहार तहसील बहरी
- 2. काशी प्रसाद पाठक जिला सीधी म.प्र. — आवेदकगण

बनाम

1. शिवानन्द तनय भुवनेश्वर प्रसाद पाठक

2. नित्यानन्द तनय भुवनेश्वर प्रसाद पाठक

दोनो निवासी ग्राम मटिहनी तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र.।

3. रमानिवास

4. संतोष प्रसाद पाठक

पिता रामेश्वर पाठक निवासी ग्राम मोहार तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र.।

5. संतोष प्रसाद

6. अन्नपूर्णा प्रसाद

पिता ठाकुर प्रसाद पाठक

7. यज्ञपूर्णा प्रसाद

8. योगेन्द्र प्रसाद (सुतक)

निवासी ग्राम मोहार तहसील बहरी जिला सीधी

9. सुन्नी देवी

10. कंचन देवी

11. सत्यम

12. प्रतीक

पिता धनश्याम प्रसाद पाठक ग्राम मोहार हाल मुकाम

बेलबाग सब्जीमण्डी के पीछे सीधी म.प्र.

13. राधाकृष्ण पाठक

14. योगेन्द्र पाठक

15. विजयलक्ष्मी पुत्री राधों प्रसाद पाठक

16. गिता पुत्री राधों प्रसाद पाठक

वारों निवासी ग्राम पहरिया तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र.।

17. राजलक्ष्मी पुत्री राधों प्रसाद पाठक निवासी ग्राम डुआरी तहसील गुह

जिला रोवा म.प्र.।



प्राधेक्षी रामानुज...
गुवा... 12-01-18
कलक आ...
ज... म... प्र...
...

Handwritten signature/initials.

17. उमाकान्त पाठक

पिता सचिवतानन्द पाठक निवासी ग्राममौहार

18. सुभाष प्रसाद पाठक

तहसील बहरी जिला सीधी १५.९.१९

19. लवकुश प्रसाद पाठक

दयानन्द पाठक १५तक १५ वांछित :-

20. ब्रानेन्द्र प्रसाद पाठक

पिता दयानन्द पाठकी निवासी ग्राम देवरी

21. सतीश कुमार पाठक

तहसील बहरी जिला सीधी १५.९.१९

22. वेदाचार पाठक

अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर
कलेक्टर महोदय सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-

006/निगरानी/2016-17/मामला ५027/अपील/

2016-17 पारित आदेश दिनांक 25.11.2017

अनुचित धारा 50 म.प्र.सं.संहिता
1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/737

जिला-सीधी

राजेश्वर प्रसाद पाठक/ शिवानन्द पाठक

(1)	(2)	(3)
5-8-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 06/निगरानी/2016-17 एवं मामला क्र0 27/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशानन्द चौधरी), सदस्य</p>	